

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री रामदरसिंह भाटी, आर.ए.एस
प्रशासन गांवों के रांग अभियान-2023 कोर्ट केम्प गेहूं

क्रमांक रीडर/2023/

प्रार्थिनी

1950

बनाम

दिनांक - 18/07/23

अप्रार्थीगण

1 जड़ाव कंवर पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।


1 छगनकंवर पत्नी शक्तिदानसिंह जाति राजपूत निवासी लुणू खुर्द 2 हितेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी चूली 3 दशरथसिंह पुत्र बनेसिंह 4 मानकंवर पत्नी बनेसिंह जाति राजपूत निवासी चूली 5 हबिया पुत्र ढाउ जाति मुसलमान निवासी लुणू आगोर 6 गीताकंवर पत्नी छगनसिंह जाति राजपूत निवासी चूली 7 वलीया पुत्र माधल जाति मुसलमान निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 159/2023

दिनांक- 08/07/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लुणू आगौर पटवार क्षेत्र चूली तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 521/211 रकबा 1.4569 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखग स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थिनी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थिनी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी,


बाड़मेर

दिनांक- 18/07/23

क्रमांक :- रीडर/2023/1959 to 1953

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चूली तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जड़ाव कंवर पत्नी दीपसिंह जाति राजपूत निवासी लुणू आगोर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी छगनकंवर पत्नी शक्तिदानसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी लुणू खुर्द तहसील व जिला बाड़मेर।



उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर